RNI No. MAHBIL /2009/31730
Reg. No. MCS/170/2016-18

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण भाग सात

वर्ष २, अंक २२] **गुरुवार, सप्टेंबर २२, २०१६/भाद्र ३१, शके १९३८** **[पृष्ठे ५, किंमत : रुपये ४७.००**

असाधारण क्रमांक २९

प्राधिकृत प्रकाशन

अध्यादेश, विधेयके व अधिनियम यांचा हिंदी अनुवाद (देवनागरी लिपी).

सहकारिता, विपणन तथा वस्त्रोद्योग विभाग

मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय,
मुंबई ४०० ०३२, दिनांकित ३० अगस्त २०१६।

MAHARASHTRA ORDINANCE No. XX OF 2016.

AN ORDINANCE
FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA AGRICULTURAL PRODUCE MARKETING (DEVELOPMENT AND REGULATION) ACT, 1963.

महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक २० सन् २०१६।

महाराष्ट्र कृषि उपज विपणन (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, १९६३ में अधिकतर संशोधन संबंधी अध्यादेश।

सन् २०१६ का महा. अध्या. क्र. १५।

क्योंकि महाराष्ट्र के राज्यपाल ने, ५ जुलाई २०१६ को, महाराष्ट्र कृषि उपज विपणन (विकास तथा विनियमन) (संशोधन) अध्यादेश, २०१६ प्रख्यापित किया था ;

और क्योंकि १८ जुलाई २०१६ को राज्य विधानमंडल के पुनः समवेत होने पर, उक्त अध्यादेश को राज्य विधानमंडल के अधिनियम में बदलने के लिए, महाराष्ट्र कृषि उपज विपणन (विकास तथा विनियमन) (संशोधन) विधेयक, २०१६ (वि.स. विधेयक क्र. २४, सन् २०१६) ३ अगस्त, २०१६ को महाराष्ट्र विधान सभा द्वारा पारित किया गया था और महाराष्ट्र विधान परिषद को पारेषित किया गया था ;

और क्योंकि तत्पश्चात्, महाराष्ट्र विधान परिषद का सत्र ५ अगस्त, २०१६ को सत्रावसित होने के कारण उक्त विधेयक महाराष्ट्र विधान परिषद द्वारा पारित नहीं हो सका था ;

और क्योंकि भारत के संविधान के अनुच्छेद २१३ (२) (क) द्वारा यथा उपबंधित उक्त अध्यादेश, राज्य विधानमंडल के पुनः समवेत होने के दिनांक से छह सप्ताह के अवसान पर, अर्थात् २८ अगस्त, २०१६ के पश्चात्, प्रवृत्त होने से परिविरत हो जाएगा ;

और क्योंकि उक्त अध्यादेश के उपबंधों का प्रवर्तन जारी रखना इष्टकर समझा गया है ;

और क्योंकि राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा है ; और महाराष्ट्र के राज्यपाल का यह समाधान हो चुका है कि ऐसी परिस्थियाँ विद्यमान हैं; जिनके कारण उन्हें इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, उक्त अध्यादेश के उपबंधो का प्रवर्तन जारी रखने के लिए सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ है ;

अब, इसलिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद २१३ के खण्ड (१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महाराष्ट्र के राज्यपाल, एतद्द्वारा, निम्न अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं, अर्थात् :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भण।

१. (१) यह अध्यादेश महाराष्ट्र कृषि उपज विपणन (विकास तथा विनियमन) (द्वितीय संशोधन तथा जारी रहना) अध्यादेश, २०१६ कहलाए।

(२) यह ५ जुलाई, २०१६ से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

सन् १९६४ का महा. २० की धारा २ में संशोधन।

२. महाराष्ट्र कृषि उपज विपणन (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, १९६३ (जिसे इसमें आगे, " मूल अधिनियम " कहा गया है) की धारा २ की उप-धारा (१) में,— सन् १९६४ का महा. २०।

(क) खण्ड (च-१क) के पश्चात्, निम्न खण्ड, निविष्ट किया जायेगा, अर्थात् :—

" (च-१ख) ' इ-विपणन ' का तात्पर्य, उसके आनुषंगिक क्रियाकलापों के साथ कृषि उपज के इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली के ज़रिए विपणन से है; " ;

(ख) खण्ड (ज) में, " सहायक बाजार " शब्दों के पश्चात्, " धारा ५ के अधीन " शब्द अंत में जोडे जायेंगे।

सन् १९६४ का महा. २० की धारा ६ में संशोधन।

३. मूल अधिनियम की धारा ६ की, उप-धारा (२) के पश्चात्, निम्न उप-धारा निविष्ट की जायेगी, अर्थात् :—

" (२क) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी भी व्यक्ति द्वारा, धारा ५ के अधीन स्थापित बाजार से बाहर अनुसूची के मद **सात**-फलों, **आठ**-सब्जियों की सभी प्रविष्टियाँ तथा मद **दस** मसाले, मसालेदार वस्तू तथा अन्य वस्तू की प्रविष्टियाँ (२), (३), (४) तथा (५) में विनिर्दिष्ट कृषि उपज के विपणन के लिए, धारा ५घ में यथा उपबंधित के सिवाय, किसी अनुज्ञप्ति या अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी तथा उसका बाजार समिति द्वारा विनियमित नहीं किया जायेगा। "।

सन् १९६४ का महा. २० की धारा ३१ में संशोधन।

४. मूल अधिनियम की धारा ३१ की,—

(क) उप-धारा (१) के, तृतीय परंतुक के स्थान में, निम्न परंतुक, रखा जायेगा, अर्थात् :—

" परंतु यह और कि, कोई ऐसी फीस, कृषि उपज के संबंध में, किन्ही बाजार क्षेत्र में, जिसके संबंध में फीस, इस धारा के अधीन, किन्हीं अन्य बाजार समिति, निजी बाजार, कृषि-उपभोक्ता बाजार, विशेष वस्तू बाजार या राज्य में सीधे विपणन के अधीन, पहले से ही उद्ग्रहीत या संग्रहीत की गई है या किसी बाजार क्षेत्र में किन्ही यंत्रणा या श्रमिकों की सहायता के बिना चलाए रहे उद्योग में जुडे व्यक्ति द्वारा क्रय किये गये घोषित कृषि उपज के संबंध में उद्ग्रहीत या संग्रहीत नहीं की जायेगी।";

(ख) उप-धारा (२) में, " कमिशन एजंटों द्वारा " शब्दों के स्थान में, " क्रयकर्ता से कमिशन एजंटों द्वारा " शब्द रखे जायेंगे।

सन् २०१६ का महा. अध्या. क्र. १५।

५. (१) महाराष्ट्र कृषि उपज विपणन (विकास तथा विनियमन) (संशोधन) अध्यादेश, २०१६, एतदद्वारा, प्रत्याहृत किया जाता है। सन् २०१६ का महा. अध्या. क्र. १५ के प्रत्याहरण द्वारा निरसन और व्यावृत्ति।

(२) ऐसे प्रत्याहरण के होते भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन , कृत कोई बात या की गई कोई कार्यवाही (जारी किसी अधिसूचना या आदेश समेत) उक्त अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन कृत, की गई, या, यथास्थिति, जारी की गई समझी जायेगी।

वक्तव्य।

महाराष्ट्र कृषि उपज विपणन (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, १९६३ (सन् १९६४ का महा. २०), राज्य में इसकी लिए स्थापित निजी बाजारों तथा कृषक उपभोक्ता बाजारों समेत बाजार क्षेत्रों और बाजारों में कृषि तथा कतिपय अन्य उपज के विपणन का विकास तथा विनियमन करने ; ऐसे बाजारों के संबंध में गठित की जाने वाली या ऐसे बाजारों के संबंध में प्रयोजनों के लिए कार्य करने वाली बाजार समितियों पर शक्तियाँ प्रदत्त करने और बाजार समिति के प्रयोजनों के लिए बाजार निधि स्थापित करने तथा उपरोक्त मामलों के संबंध में के प्रयोजनों के लिए उपबंध करने के लिए अधिनियमित किया गया है।

२. उक्त अधिनियम महाराष्ट्र कृषि उपज विपणन (विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, २००५ (सन् २००५ का महा. ४८) द्वारा संशोधित किया गया है जिसमें कृषकों के लिए उनके उपज को बिक्री के लिए विभिन्न आनुकल्पिक विकल्पों को सृजित किया गया है। उक्त संशोधन अधिनियम, २००५ द्वारा, निजी बाजारों, कृषक-उपभोक्ता बाजारों, विशेष वस्तु बाजारों, प्रत्यक्ष विपणन और संविदा खेती करार की स्थापना के लिए उपबंधों को उक्त अधिनियम में निगमित किया गया है। उन विभिन्न आनुकल्पिक विपणन की गतिविधियों के अधीन लेन-देन का स्थान उन सभी बाजार क्षेत्रों के भीतर है जिसे अपने-अपने बाजार समितियों के लिए अधिसूचित किया गया है।

३. कृषकों और उपभोक्ताओं को अधिक सौदाकारी शक्ति सुनिश्चित करने और अच्छी प्रतियोगिता को समर्थ करने के उद्देश्य से, महाराष्ट्र सरकार ने उक्त अधिनियम में कतिपय संशोधनों को कार्यान्वित करना इष्टकर समझा है, ताकि कृषकों को उनके उपज के लिए उचित मूल्य मिल सकें प्रस्तावित संशोधनों की प्रमुख विशेषताएँ यथा निम्न हैं :—

(एक) कृषि उपज के ई-बाजार को समर्थ करने के लिए प्रावधानों की प्रविष्टि जो आभासी बाजारों की स्थापना के लिए अनुमति देगा जिसमें ऊपरी खर्च कम से कम हो जाएगा और कृषकों को उनकी उपज के लिए उचित मूल्य मिलेगा।

(दो) फलों और सब्जियों के व्यापार के उदारीकरण के लिए और धारा ५ के अधीन स्थापित बाजार के बाहर विधिपूर्ण लेन-देन की अनुमति देने के लिए, संशोधनों को प्रस्तावित किया जा रहा है। प्रस्तावित संशोधनों के फलस्वरूप, फलों और सब्जियों के विपणन का विनियमन केवल बाजार के भीतर संबंधित बाजार समिति द्वारा किया जाएगा। संशोधन का उद्देश्य, बाजार द्वारा उपबंधित सुरक्षा के साथ-साथ कृषकों को अधिक से अधिक स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए वैकल्पिक विपणन माध्यम उपलब्ध करना है।

(तीन) कृषि उपज के मुक्त प्रवाह और निर्बाध व्यापार के लिए, महाराष्ट्र राज्य में फीस के एकल बिंदु उद्ग्रहण का उपबंध सम्मिलित किया जा रहा है।

४. क्योंकि राज्य विधान मंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा था और महाराष्ट्र के राज्यपाल का यह समाधान हो चुका था कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान थीं, जिनके कारण उन्हें, उपर्युक्त प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र कृषि उपज विपणन (विकास और विनियमन) अधिनियम, १९६३ (सन् १९६४ का महा. २०) में अधिकतर संशोधन करने के लिए सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ था, अतः महाराष्ट्र के राज्यपाल द्वारा महाराष्ट्र कृषि उपज विपणन (विकास तथा विनियम) (संशोधन) अध्यादेश, २०१६ (सन् २०१६ का महा. अध्या. क्र. १५) ५ जुलाई २०१६ को प्रख्यापित किया गया था।

५. तत्पश्चात्, १८ जुलाई २०१६ को राज्य विधान मंडल के पुनःसमवेत होने पर, उक्त अध्यादेश को राज्य विधान मंडल के अधिनियम में बदलने के लिए, महाराष्ट्र कृषि उपज विपणन (विकास और विनियमन) (संशोधन) विधेयक, २०१६ (वि.स. विधेयक क्र. २४ सन् २०१६), ३ अगस्त २०१६ को महाराष्ट्र विधान सभा द्वारा पारित किया था और महाराष्ट्र विधान परिषद को पारेषित किया गया था। तथापि, तत्पश्चात्, महाराष्ट्र विधान परिषद का सत्र ५ अगस्त २०१६ को सत्रावसित हुआ था, अतः उक्त विधेयक महाराष्ट्र विधान परिषद द्वारा पारित नहीं हो सका था।

चूँकि भारत के संविधान के अनुच्छेद २१३ (२) (क) द्वारा उपबंधित रूप में राज्य विधान मंडल १८ जुलाई २०१६ को पुनः समवेत हुआ है, उक्त अध्यादेश २८ अगस्त २०१६ के पश्चात् प्रवृत्त होने से परिविरत हो जाएगा, और महाराष्ट्र सरकार ने उक्त अध्यादेश के उपबंधों का प्रवर्तन जारी रखना इष्टकर समझा है।

६. चूँकि राज्य विधान मंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा है और महाराष्ट्र के राज्यपाल का यह समाधान हो चुका है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं जिनके कारण उन्हे उपरोक्त प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र कृषि उपज विपणन (विकास और विनियमन) (संशोधन) अध्यादेश, २०१६ (सन् २०१६ का महा. अध्या. क्र १५) के उपबंधों को जारी रखने के लिए, सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ है, अत: यह अध्यादेश प्रख्यापित हुआ है।

चे. विद्यासागर राव,
महाराष्ट्र के राज्यपाल।

मुंबई,
दिनांक ३० अगस्त, २०१६।

महाराष्ट्र के राज्यपाल के आदेश तथा नाम से,

सुनिल पोरवाल,
सरकार के प्रधान सचिव।

(यथार्थ अनुवाद),
डॉ. मंजूषा कुलकर्णी,
भाषा संचालक,
महाराष्ट्र राज्य।

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI.